रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 62] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 3, 1992/चैत्र 14, 1914

No. 62] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 3, 1992/CHAITRA 14, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

(वित्त मंत्रालय)

(आर्थिक कार्य विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1992

विषय : सरकारी विभागों द्वारा विदेशी मुद्रा जारी करना—शक्तियों का प्रत्यायोजन आदि

संख्यां एफ. 4 (4) एफ.ई.बी. 1/92 :— वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) संकल्प संख्यां 4 (5) एफ ई बी 1/90, दिनांक 26-6-1990 तथा उसके अंतर्गत जारी किए गए आदेशों में प्रशासकीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के आयात तथा नामजद माध्यम अभिकरणों द्वारा थोक-वस्तुओं के आयात हेतु अदायगी संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा के अनुमोदन संबंधी पद्धति निर्धारित की गई है । प्रशासकीय मंत्रालयों/विभागों को प्राधिकृत करने के अंतर्गत सभी विभागीय उपक्रमों और राज्य सरकारों तथा इसके साथ ही कुछ ऐसे विनिर्दिष्ट सरकारी उपक्रमों, जो आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अधिसूचित विदेशी मुद्रा बजट आबंटनों के अंतर्गत शामिल हैं, की विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं हेतु व्यवस्था की गई है ।

2. इस पद्धति के अनुसार, प्रशासकीय मंत्रालयों को संविदाएं अनुमोदित करने तथा उनकी अदायगी संबंधी सभी आवश्यकताओं हेतु विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए पूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं बशर्ते कि अनिवार्यता, प्रशासनिक तथा तकनीकी दृष्टिकोण से आवश्यक अनुमति/अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हों तथा वित्तीय और निविदा प्रणाली संबंधी शर्तों को पूरा कर लिया गया हो । इसके साथ ही, समग्र विदेशी मुद्रा भुगतानों को आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा बजट की अधिकतम सीमा तक प्रतिबंधित रखा जाना चाहिए । इस पद्धति के अन्तर्गत, पूर्ववर्ती पैरे में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के अनुमोदित प्रावधान के अनुवर्ती आबंटन की व्यवस्था भी की गई है ।

3. उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली (एल.ई. आर एम.एस.) के अनुसरण में जारी किए गए तारीख 12.3.1992 के कार्यालय ज्ञापन संख्यां 4(2) एफ.ई. बी. 1/92 के तहत अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त प्रक्रिया की समीक्षा की गई है । इन अनुदेशों के अनुसार, वस्तुएं आयात करने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों द्वारा संबंधित मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार/ आन्तरिक वित्त विंग से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र, कि उक्त आयात आर्थिक कार्य विभाग (डी ई ए) के विदेशी मुद्रा बजट के अनुमोदन के अनुरूप हैं, प्रस्तुत करके विदेशी मुद्रा प्राधिकृत व्यापारियों (ए.डी.) से, अधिकृत दर पर प्राप्त की जा सकती है। एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि मंत्रालय/विभाग केवल विभागीय प्रयोजनों के लिए अपेक्षित और विदेशी मुद्रा बजट में अनुमोदित वस्तुओं के आयात के लिए ही, "अधिकृत दर" पर विदेशी मुद्रा ले पायेगें। विदेशी मुद्रा बजट की अधिकतम सीमा से ऊपर वस्तुओं के आयात के लिए मंत्रालय/ विभागों को बाजार दर पर विदेशी मुद्रा का उपयोग करना होगा । सरकारी यात्रा, सेवा भुगतान, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को दिए जाने वाले अंशदान/ चन्दा, परामर्शी प्रभारों आदि समेत गैर-वस्तु लेन-देनों के लिए सभी भुगतान बाजार दर पर विदेशी मुद्रा प्राप्त करके करने होंगें। उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित उपक्रमों समेत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा रेलवे, दूर-संचार विभाग, डाक विभाग, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी जैसे विभागीय उपक्रमों को भी अपने सभी भुगतान दायित्वों को "बाजार दर" पर पूरा करना होगा ।

4. ऊपर बताई गई संशोधित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, अब आर्थिक कार्य विभाग को प्रशासकीय मंत्रालयों/ विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे विदेशी भुगतानों को सीधे नियंत्रण और मानीटर करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें बाजार दर पर किया जाता है । इस प्रकार इन अदायगियों के लिए विदेशी मुद्रा बजट में से विदेशी मुद्रा का कोई आबंटन नहीं होगा । तथापि, मंत्रालयों/विभागों द्वारा विदेशी मुद्रा का "बाजार दर" पर भी भुगतान, विदेशी मुद्रा में व्यय करने के लिए आंतरिक वित्त अनुमोदन (क्लीयरेंस) सहित रुपया व्यय अधिशासित करने वाली प्राधिकरण को मानक वित्तीय प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा । इस प्रकार आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले प्रशासकीय मंत्रालयों के विदेशी मुद्रा बजट आबंटनों के अंतर्गत अब से केवल उन वस्तुओं के आयातों की भुगतान देयताओं के लिए व्यवस्था होगी जो विभागीय प्रयोग के लिए तथा राज्य सरकारों के संबंधित विभागों, जो उनके क्षेत्र प्रभार के अंतर्गत आते हैं, की सदृश आवश्यकता के लिए अपेक्षित होंगें ।

5. भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले विदेशी मुद्रा बजट आबंटनों के अंतर्गत आयात लेन-देनों के लिए विदेशी मुद्रा भुगतान करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अनुसार संपूर्ण अधिकारों का प्रयोग करते रह सकेंगे ।

(क) वित्तीय प्रस्तुतीकरण और बजटीय प्रक्रियाओं से संबंधित सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाए ;

(ख) आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा बजट की अधिकतम सीमा के अंतर्गत विदेशी मुद्रा देयता पूर्णरूप से पूरी की जाए ;

(ग) वित्तीय सलाहकार/आंतरिक वित्त स्कंध इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी करेंगें कि वस्तुओं के जिस आयात के लिए अतिरिक्त विदेशी मुद्रा "प्राधिकृत" दर पर मांगी गई है, उसकी जरूरत विभागीय उपयोग के लिए है और इसके लिए आर्थिक कार्य विभाग द्वारा यथानुमोदित विदेशी मुद्रा बजट में प्रावधान रखे गए हैं ।

6. विदेशी बोलीकर्ताओं से प्राप्त होने वाली बहुविध मुद्रा बोलियों के रूपान्तरण के संबंध में संविदाएं प्रदान करने के प्रयोजन के लिए, समय-समय पर यथासंशोधित, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 28-12-1988 के का.ज्ञा. संख्यां एफ. 4(5) एफ.ई.बी. I/88 में निर्दिष्ट मौजूदा प्रावधानों को अपनाया जाएगा ।

7. द्विपक्षीय/बहुपक्षीय उधारों से संबंधित विदेशी मुद्रा के लेनदेन के लिए आर्थिक कार्य विभाग के अनुमोदन की जरुरत नहीं होगी बशर्ते प्रशासनिक वित्तीय व बोली संबंधी प्रक्रियाओं को सामान्य नियमों और संबद्ध करारों के अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार पूरा किया जाता है लेकिन वाणिज्यिक मदों के अंतर्गत लिए जाने वाले किसी भी प्रकार के उधार जिसमें एक से अधिक वर्ष की अवधि के संभरक ऋण शामिल हैं, के लिए आर्थिक कार्य विभाग से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा ।

8. सरणीबद्ध सूची के अंतर्गत आने वाली थोक वस्तुओं के संबंध में आर्थिक कार्य विभाग आगे से केवल भारतीय तेल निगम द्वारा किए जाने वाले कच्चे तेल, डीजल व किरोसीन के आयात और एम.एम.टी.सी. द्वारा किए जाने वाले तैयार उर्वरकों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा आबंटन अधिसूचित करेगा। इन आबंटनों के एवज में आयात विषयक वचनबद्धताएं संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श से माध्यम अभिकरणों द्वारा की जाएंगी। आर्थिक कार्य विभाग भी इन वस्तुओं का विदेशी मुद्रा बजट आबंटनों से अधिक अतिरिक्त आयात प्राधिकृत करने के संबंध में विचार कर सकता है बशर्ते उनकी अदायगी "बाजार दर" पर की जाए । अन्य सरणीबद्ध वस्तुओं के आयात का विनियमन संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों और माध्यम अभिकरणों द्वारा किया जाएगा । ऐसे आयातों के लिए अदायगियां केवल मुद्रा की "बाजार दर" पर की जाएंगी

9. आर्थिक कार्य विभाग इस बात के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी करेगा कि ऊपर उल्लिखित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों तथा माध्यम अभिकरणों द्वारा विदेशी मुद्रा की अदायगियां मुद्रा की "प्राधिकृत दर" पर सूचित की जाएं ।

बाई वेणुगोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

RESOLUTION

New Delhi, the 3rd April, 1992

Subject : Release of foreign exchange by Government Departments—Delegation of Powers, etc.

No. F. 4(4)FEB. I|92.—Ministry of Finance (Department of Economic Affairs Resolution No. 4(5) FEB. I|90 dated 26-6-90 and the orders issued thereunder lay down the procedure for authorisation of foreign exchange for meeting payment liabilities on account of import of goods and services by Adm. Ministries|Departments and import of bulk commodities by the designated canalising agencies. The authorisation for Admn. Ministries|Departments provide for foreign exchange requirements of all departmental undertakings and the State Governments as well as a few specified public Sector Undertakings which are within the purview of Foreign Exchange Budget allocations notified by Department of Economic Affairs every year.

2. In accordance with this procedure, administrative Ministries have full powers to approve contracts and release foreign exchange for all their payment requirements provided the requisite clearances|approvals from essentiality, administrative and technical angles are obtained and relevant provisions of financial and tendering procedures are complied with. Further, the total foreign exchange payments are to be resricted to the FEB ceiling notified by Department of Economic Affairs. The procedure also provides for the sub-allocation of the approved provision to the Public Sector Undertakings, referred to in the preceding paragraph.

3. The above procedure has been reviewed in the light of instructions vide OM. No. 4(2) FEB.1|92 dated 12-3-1992 issued in pursuance of Liberalised Exchange Rate Management System (LERMS). According to these instructions, foreign exchange at the 'official rate' can be obtained from authorised dealers (ADs) by Ministries|Departments of the Government of India for the import of goods by submitting a certification of the Financial Adviser|Internal Finance Wing of the Ministry|Department concerned that the said imports are as per authorisation of the Foreign Exchange Budget of Department of Economic Affairs (DEA). It is hereby clarified that Ministries|Departments would have access to foreign exchange at 'official rate' only for import of goods required for departmental purposes and approved in the Foreign Exchange Budget. For import of goods in excess of the FEB ceiling, Ministries|Departments would have to avail of foreign exchange at the 'market rate'. All payments for non-goods transactions including official travel, service payments, contributions|subscriptions to international organisations, consultancies, etc. will have to be made by obtaining foreign exchange at 'market rate'. All Public Sector Undertakings including those mentioned in paragraph 1 above as well as departmental undertakings like Railways, Department of Telecommunications, Department of Posts, Doordarshan and All India Radio will meet all their payment liabilities at 'market rate'.

4. In the light of revised procedure as described above, it will no longer be necessary for Department of Economic Affairs to directly control and monitor such foreign exchange payments of administrative Ministries|Departments and PSUs as are made at 'market rate' There would thus be no allocation of Foreign Exchange from the Foreign Exchange Budget for these payments. However, foreign exchange payments by Ministries|Departments even at 'market rate' would be subject to the standard financial procedure governing authorisation of rupee expenditure including internal finance clearance for incurring the expenditure in foreign exchange. Thus the Foreign Exchange Budget allocations of administrative Ministries, to be notified by Department of Economic Affairs, will henceforth provide only for payment liabilities for import of goods required for departmental use as well as similar requirement of the respective departments of State Governments which are within their sectoral charge.

5. Ministries|Departments of the Government of India may continue to exercise full powers to make foreign exchange payments for the import transactions covered under the FEB allocations to be notified by Department of Economic Affairs subject to the following conditions :

(a) all requirements in regard to financial tendering and budgetary procedures are complied with;

(b) the foreign exchange liability is met fully within the FEB ceiling notified by the Department of Economic Affairs;

(c) the Financial Adviser|Internal Finance Wing will issue a certificate that the import of goods for which access to foreign exchange at 'official rate' is sought, is required for departmental use and the requisite provisions exists in the Foreign Exchange Budget as approved by Department of Economic Affairs.

6. For conversion of multiple currency bids from foreign bidders, the existing provisions contained in Department of Economic Affairs OM No. F. 4(5) FEB. I|88 dated 28-12-1988 as modified from time to time will be followed for the purpose of award of contracts.

7. Foreign exchange transactions relating to bilateral|multilateral credits will not require approval of DEA provided the administrative financial and bidding procedures as per the normal rules and those

prescribed under relevant agreements are followed. Approvals of DEA would however be needed for any borrowing under commercial terms including suppliers' credit of more than one year duration.

8. For bulk commodities under the canalised list, Department of Economic Affairs will henceforth notify FEB allocations only for commitments for import of crude, diesel and kerosene by IOC and finished fertilizers by MMTC. The import commitments will be made by the canalised agencies against these allocations in consultation with concerned administrative Ministries. Deptt. of Economic Affairs may also consider authorising additional import of these commodities over and above the FEB allocation provided the payment thereof is made at 'market rate'. The import of other canalised commodities will be regulated by the concerned administrative Ministries and the canalising agencies. Payments for such imports will be made only on 'market rate' of exchange.

9. Department of Economic Affairs will issue suitable instructions in regard to reporting of foreign exchange payments at 'official rate' of exchange by the administrative Ministries/Departments and the canalising agencies referred to above.

Y. VENUGOPAL REDDY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992